भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2619

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

वित्तीय प्रणाली में एआई का उपयोग

2619. श्री नवीन जिंदलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों पर आपत्ति जताई है, जिनमें साइबर जोखिम में वृद्धि, डीप फेक का उपयोग करके अत्याधुनिक फिशिंग हमले करने में घोखेबाजों को सहायता मिलने का खतरा आदि शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में इससे निपटने के लिए कौन-सी प्रभावी रणनीति बनाई गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी, हाँ।

दिनांक 30 दिसंबर, 2024 को जारी आरबीआई की दिसंबर 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विकास और उसका अंगीकरण वित्तीय स्थिरता के लिए कई जोखिम पैदा करता है। आरबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि साइबर जोखिम के वित्तीय स्थिरता जोखिम में बदलने का खतरा अधिक है क्योंकि एआई, जेनरेटिव एआई का उपयोग करके डीपफेक के निर्माण जैसे परिष्कृत फ़िशिंग हमलों के माध्यम से साइबर हमलावरों की सहायता कर सकता है।

(ख): आरबीआई ने एआई/एमएल (मशीन लर्निंग) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का लाभ उठाकर धोखाधड़ी के खिलाफ बैंकिंग क्षेत्र में रक्षोपायों को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान' विषय पर आरबीआई के विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के चौथे समूह में और विनियामक सैंडबॉक्स के पांचवें समूह में, जो 'थीम न्यूट्रल' था, संस्थाओं ने अलर्ट को ट्रिगर करने के लिए सार्वजनिक और निजी डेटा स्रोतों में डेटा का उपयोग करने वाले प्रोप्राइटरी एआई मॉडल के आधार पर धोखाधड़ी की पहचान के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया। हार्बिंगर 2024 के तीसरे संस्करण के विषयों में से एक विषय 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' था, जो रियल टाइम में धोखाधड़ी की पहचान करने और म्यूल बैंक खातों की पहचान करने के समस्यागत विवरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इस दौरान टीमों द्वारा विकसित कई समाधान एआई/एमएल पर आधारित थे।

आरबीआई ने 26 दिसंबर, 2024 को एआई (एफआरईईएआई) की जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता हेतु फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है और समिति के विचारार्थ मुद्रों में से एक "एआई से जुड़े संभावित जोखिमों यदि कोई, की पहचान करना और बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक, पीएसओ आदि सहित वित्तीय संस्थानों के लिए मूल्यांकन, शमन और निगरानी रूपरेखा और परिणामी अनुपालन आवश्यकताओं की अनुशंसा करना" है। इस संबंध में, उक्त फ्रेमवर्क से बढ़ते हुए साइबर जोखिमों सहित वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंगीकरण से पैदा होने वाले जोखिमों का समाधान होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में, सेबी ने हाल ही में विनियम जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सेबी द्वारा विनियमित व्यक्ति [बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई), पंजीकृत मध्यस्थ, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी), पूल किए गए निवेश संसाधनों के प्रबंधक सहित], जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनों का उपयोग करते हैं जिन्हें, या तो उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है या तीसरे पक्ष के प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं से खरीदे गए हो,, ऐसे साधनों के उपयोग के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। विनियम अपने कार्य के संचालन और

अपने निवेशकों को सेवाएं देने के लिए ऐसे साधनों को अपनाने के पैमाने और परिदृश्य के बावजूद लागू होंगे और सेबी विनियमित ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे-

(i) इसमें शामिल प्रक्रियाओं के दौरान निवेशकों और हितधारकों के वैश्वासिक क्षमता से इसके द्वारा अनुरक्षित डेटा सहित डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और अखंडता;

(ii) ऐसे साधनों और तकनीकों के उपयोग से उत्पन्न होने वाला आउटपुट जिस पर वह निर्भर है या जिसका निपटान करता है; और

(iii) लागू कानूनों का अनुपालन करना।

*****